गाँधीवादी एवं स्वराज्य पार्टी

डॉ. देवेन्द्र कुमार सिन्हा

स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी उसके पूर्व 1922 में ही गाँधी जी को जेल जाना पड़ा स्वराज्य पार्टी में काम करने वाले प्रायः गाँधीवादी ही थे। यही कारण था कि गाँधी जी स्वराज्य पार्टी से पूरी तरह सहमत न होते हुए भी उसका विरोध नहीं कर सके 1922 ई० में गाँधीजी को 6 वर्ष की कारावास की सजा मिली थी, परन्तु उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्हें 1924 ई० में ही रिहा कर दिया गया। 1924 ई० के बेलगाँव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गाँधीजी ने ही की। यद्यपि गाँधीजी स्वराज्य दल के कार्यक्रम से सहमत नहीं थे, फिर भी असहयोग आन्दोलन के स्थगन के कारण एवं उसे पुनः प्रारम्भ करने की स्थिति में न होने के कारण, गाँधीजी ने मौन रूप से स्वराज्य दल को उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुमति दे दी। उन्होंने विदेशी माल के बहिष्कार, हाथ से कताई, बुनाई तथा अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया। स्वराज्यवादियों ने गाँधीजी के कार्यक्रम के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की तथा इस प्रकार दोनों विचारधाराओं के मध्य समझौता हो गया एवं सूरत–विच्छेद की पुनरावृत्ति होने से बच गई। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा स्वराज्य पार्टी दोनों के लिए ही एक शुभ संकेत था।